R-68.11/92

(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /९२ निगरानी

125 II

पी० के० गुप्ता 19-6-92

द्वारा आज दिनांक

को प्रस्तुत।

19/6/92

सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

19/6/92

मोहबत उल्ला पुत्र रहमतुल्ला ,

निवासी सबलगढ़ हालसंजय कालोनी मुरैना

जिला मुरैना (म०प्र०) ----आवेदक

बनाम

शासन म०प्र० द्वारा श्री माफी आफीसर

महोदय, मोतीमहल ग्वालियर - --अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री अपर आयुक्त महोदय चम्बल सम्भाग ग्वालियर तारीख२५-३-९२ अन्तर्गत धारा ५० भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय ,

श्रीमान् जी निगरानी आवेदक निम्न कारणो द्वारा प्रस्तुत है :-

१- यहकि, निर्णयअधीनस्थन्यायालय विधि एवं विधान के विपरीत होने से तथा findings perverse होने से निरस्तकिये जाने योग्य है।

२- यहकि, आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू पिटीशन विलम्ब से प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारणबताये थे अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र विलम्ब का हवाला देकर रिव्यूपिटीशन आवेदन अस्वीकार करने में कानूनी भूल की है। पर्याप्त कारण होने पर रिव्यू अवधि गुजर जाने के पश्चात भी स्वीकार किया जा सकता है। व विलम्ब क्षमा की जा सकती है।

R

३- यहकि, अपर आयुक्त महोदय , ग्वालियर [illegible]

R-68-पी/92 जिला - मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-2-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्र0क्र0 16/1991-92 माफी/विविध में पारित आदेश दिनांक 25-3-1992 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण की संक्षेपिका यह है कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 28/70 में पारित आदेश दिनांक 17-1-1975 के विरुद्ध आवेदक ने आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन पत्र दिनांक 18-11-91 को प्रस्तुत किया, जो आदेश दिनांक 17-1-1975 के 16 वर्ष वाद प्रस्तुत होने से आदेश दिनांक 25-3-1992 व्दारा निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरुक्ष यह निगरानी है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने एंव शासन के पैनल लायर ने लेखी बहस प्रस्तुत करने का आश्वासन देने पर उन्हें 10 दिवस का समय दिया गया; किन्तु समयावधि में लेखी बहस प्राप्त न होने से प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है। 4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर से प्रकरण में विचार करना है कि अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश दिनांक 17-1-75 के विरुद्ध दिनांक 18-11-81 को 16 वर्ष वाद प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन प्रचलन-योग्य है अथवा नहीं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में इस हेतु मात्र 90 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित है जबकि आवेदक ने आदेश दिनांक 17-1-75 के 16 वर्ष वाद पुनरावलोकन आवेदन अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसे अग्राह्य करने में अपर आयुक्त व्दारा किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। (हस्ताक्षर) सदस्य	16-9

शा0मु0ग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.